

20.02.2026:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई वादी वादी वकील
उपरिथत। वादी वकील द्वारा वादपत्र मे कोई कार्यवाही नही
चाहते हुए। वादी वकील श्री मनोज अरोडा द्वारा फर्द अहकाम
पर अंकन किया की पार्टी मुकदमा आगे नही चलाना चाहते।
वादी वकील ने **NO PREES** अंकन किया। वादी वकील के
NO PREES करने पर वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमीत
दाखिल दफतर हो।

Handwritten signature